भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स व्ही एम टेक्नोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–भिट्ठीकला, तह–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा स्थित पार्ट ऑफ खसरा कमांक 1/23, कुल क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित New Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Plasma Pyrolysis क्षमता–200 किग्रा प्रतिघंटा Auto Clave क्षमता–200 किग्रा प्रतिबैच एवं Shredder क्षमता–100 किग्रा प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स व्ही एम टेक्नोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–भिट्ठीकला, तह–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा स्थित पार्ट ऑफ खसरा कमांक 1/23, कुल क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित New Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Plasma Pyrolysis क्षमता–200 किग्रा प्रतिघंटा Auto Clave क्षमता–200 किग्रा प्रतिबैच एवं Shredder क्षमता–100 किग्रा प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु श्री ए.एल. ध्रुव, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में दिनांक 24/11/2020 को स्थान – ग्राम–भिट्ठीकला, तह–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा कमांक 1/23, कुल क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) में अपरान्ह लगभग 01:00 बजे लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स व्ही एम टेक्नोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–भिट्ठीकला, तह–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा स्थित पार्ट ऑफ खसरा कमांक 1/23, कुल क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित New Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Plasma Pyrolysis क्षमता–200 किग्रा प्रतिघंटा Auto Clave क्षमता–200 किग्रा प्रतिबैच एवं Shredder क्षमता–100 किग्रा प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में दिनांक 05.02.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 25/02/2020 को उद्योग की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा के पत्र दिनांक 08/10/2020 के द्वारा उद्योग की लोकसुनवाई की तिथि दिनांक 24/11/2020, समय दोपहर 12:00 बजे, स्थान – ग्राम–भिट्ठीकला, तह–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) स्थित प्रस्तावित परियोजना स्थल खसरा कमांक 1/23 में नियत की गई। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 23.10.2020 को राष्ट्रीय समाचार पत्र 'द इंडियन

एक्सप्रेस', दैनिक समाचार पत्र 'हरिभूमि', 'पत्रिका' एवं 'अम्बिकावाणी' में 30 दिवस पूर्व लोकसुनवाई की सर्व संबंधितों को सूचना प्रकाशित कराई गयी। ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालिक सार की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियां सीडी सहित अवलोकनार्थ कार्यालय कलेक्टर, जिला–सरगुजा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय के पास नमनाकला गंगापुर, तहसील–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत–भिटठीकला, रामपुर, जोगीबांध, थोर एवं मेण्ड्राकला, तह–अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भू–तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के पूर्व इस कार्यालय में कोई भी लिखित आवेदन प्राप्त नही हुए। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया। परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री रोहिताश भोमिया, हेड ऑफ प्रोजेक्ट, मेसर्स व्ही एम टेक्नोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड एवं श्री धवल नायक, कन्सल्टेंट, मेसर्स एन्प्रो इन्वायरो टेक एण्ड इन्जीनियर्स प्रा. लि. सूरत, गुजरात द्वारा परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जन समुदाय को दी गई। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित परियोजना के संबंध में अपने सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी व्यक्त करने हेतु आग्रह किया गया। लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं :–

1. **श्री विजय कुमार सिंह, ग्राम भिट्ठीकला** – मेरा एक सुझाव था। सभी मंत्री लोगो को सुझाव दिया था। मशीन लगा रहे है ठीक है। सब फायदा दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा इस अगल बगल से जितने सरकारी प्लाट है सबमें पेड़ लगाये जाये। ये जो अगल बगल में जो मक्खी, कीटाणु है को पेड़ पौधा रोक सकता है आदमी नही रोक सकता है। इसलिए अगल बगल जितने सरकारी प्लाट है, खाली कराये जाये। और यह डिप्टी कलेक्टर साहब से भी यह कहना है कि, यहा अगल बगल सब शहर में घूमें और जितने प्लाट है पेड़ पौधे लगाये, रोड किनारे भी सरपंचो को भी आदेश दिया जाये कि घने पेड़ पौधे लगाया जाये। बीमारी कोरोना वगैरह जो आ रहे है वही रोक सकते है, आदमी नही रोक सकता है। ये सब अधिकारीगण से विनती है कि यहा पिल्खा पहाड़ था। जो अगल बगल पट्टा है। उसके लिए मुख्य मंत्री को भी बोला था की 05 किमी के एरिया में किसी को पट्टा न दिया जाये । काहे कि वहा भी जीव जंतु रहते है। जो गॉव गॉव में भालू घूम रहे है। अवघोरा के पूरे पत्थर उखाड़ कर फेके जा रहे है। तो

उसी को बचाया जाये सबसे अनुरोध है। वैज्ञानिको से भी अनुरोध है जंगल बचेगा तो हमारा अंबिकापुर शहर ग्राम भिट्ठीकला गांव बचेगा, नही तो बचेगा नही। और जितना विषैले रोग है, पेड़ पौधा उसे रोकेगा। देख रहे है टैम्परेचर बढ़ता जा रहा है। रायपुर शहर जैसा अपना सरगुजा जिला भी होता जा रहा है। आप लोगो ने अनुभव किया है सरगुजा जिले के रहने वाले है। इसलिए मेरा यही सुझाव है फैक्ट्री के साथ साथ घना आबादी और अगल बगल में जिनके कब्जें है सबको हटाया जाये। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि और सरपंचो को आदेश दिया जाये कि रोड के किनारे जितने खाली जगह है सबमें पेड़ पौधे लगाये जायें, न की पट्टा बाटें।

2. **श्री रामप्रसाद राजवाड़े, ग्राम मुरैसा** – बहुत सारी चीजे है, जैसे हम लोग इससे पहले यहा कचड़ा डम्प का जो हुआ था। उसमें बहुत सारी चीजे शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा बताया गया था कि हम यहा गांव वाले को यह फैसिलिटी देंगे आस पड़ोस के ग्राम पंचायत को ध्यान में रख कर बहुत सारी शासन की योजनाए है उन सारी योजनाओ को हम यहा करेंगे। किसानो को या अन्य राहगीरों को किसी प्रकार की दिक्कत नही होगी। लेकिन यहॉ जो भी चीजे प्लांट लगने के बाद, वो सारी घोषणायें सारी बाते भूल जाते है। मै यहॉ जो भी प्लांट लगा रहे है उनसे निवेदन करुंगा कि यह तो कितने दिन के लिए प्लांट का एमओयू हुआ है वो थोड़ा सा बता देंगे। पाच साल, दस साल, बीस साल, पचास साल और ये कार्य कब तक चालू होगा और ये चालू होने से पहले वो इस क्षेत्र के लिए क्या क्या कर सकते है? विकास के मद में बात करें, विकास के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, पर्यावरण के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है और इस फैक्ट्री प्लांट लगने से हमारे क्षेत्र का वातावरण दूषित न हो इसके लिऐ क्या किया जा सकता है और तरल अपशिष्ट पदार्थ जो निकलेगा उसका निपटान किस तरह से कर सकते है। इस पर थोड़ा विशेष रुप से प्रकाश डाले। हम लोग गांव वाले है हम लोगो को लोकल भाषा में समझाया जाये। अभी जो प्रजेन्टेशन दिये है बहुत लोगो ने ये चीजे समझ ही नही पाया कि ये प्रेजेन्टेशन में क्या बोल रहे है। तो हमारे क्षेत्रीय भाषा में बताया जाये ताकि हम समझ सके कि ये लग क्या रहा है और हो क्या रहा है और हमको इससे क्या फायदा होगा और शासन को क्या फायदा होगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

3. **श्री तिलक राम राजवाड़े, ग्राम भिट्ठीकला**– ये जो हमारा 12 फिट का बाउण्ड्री जो कचड़ा गोडाउन फेकाया है, बाउण्ड्री कहॉ गया। पूरा हमारे अगल बगल के खेत में कचड़ा भर जा रहा है। आज तक कोई काम नही हुआ और कह रहे है कि फैसला मिलेगा। और इसको कलेक्टर गोद लिया था भिटटीकला को। आज कोई काम नही हो रहा तो फैक्ट्री कहां से बन पायेगा। इतना कह के मै जय हिन्द बोलता हूँ।

4. **श्री चन्दन राम राजवाड़े, ग्राम भिट्ठीकला**–ये जो हमारे जो भी बोले है आगे जो बोले है वो सही बात है। और ये कभी भी आज तक पूरा नही हुआ है। और यहा जो भी मांग कर रहे है वो पूरा तो होगा ही लेकिन पहले से पूरा

कोई कर्मचारी नही कर पा रहे है। लेकिन इनको करवाने के लिए देखभाल के लिए हर कर्मचारी और हम पंच सरपंच जो भी है, गॉव के पब्लिक आके देखरेख करे। और देखे जो बन रहा है नही बन रहा है उनको बनवाने में। जो पहले जो हमारे भिट्ठीकला वाले जो भी बोले है एकदम सही बोले है। धन्यवाद।

5. **श्री सी. आर. राजवाड़े, ग्राम भिट्ठीकला**– बड़ी हर्ष की बात है कि ग्राम भिटटीकला में पर्यावरण एवं उद्योग में शासन के द्वारा लगाई जा रही है लेकिन इसकी जो मंशा है उसको ग्राम वासियों को क्या फायदा है इसको थोड़ा संक्षेप में समझााने का कृपा करेंगे। और यहा इसके साथ ही साथ कुछ डेव्हलपमेंट भी हो । रोड खस्ता हाल हो गया है। रोड एकदम दयनीय स्थिति में है। इसी तरह से पानी लाईट का भी सुधार हो। रोड तो एकदम गये गुजरे है, हम लोग शहर के नजदीक में रहते है। धूल गर्दा, गड्ढे हो गये है। रोड तो एकदम दयनीय स्थिति में है। तो इसके साथ ही साथ रोड की भी व्यवस्था हो। और यहा पर मल कचड़ा फेका जा रहा है इसका बदबू पुरे गांव में महक पहुँच रहा है। मक्खियां उड़ रही है। गंदगी फैल रही है। बीमारीयां फैल रही है। ठाकुर विजय सिंह ने शुरु में जो बोला है अच्छी बात है। यहा नर्सरी, पेड़, पौधे लगाना बहुत जरुरी है। तभी जाकर पर्यावरण, शुद्ध हवा जनता, ग्राम वासियों को मिलेगा। तो ये जो है आसपास में इसका गंदगी, प्रदूषण न हो। ये जो औद्योगिक लग रहा है इसका ख्याल रखे। पेड़ पौधे लगाये जाये, रोड की व्यवस्था हो, लाईट की व्यवस्था हो। अच्छी बात है कि ये लगाया जाये, हम मन से स्वागत करते है लेकिन ग्राम वासियो के सुख सुविधा का ध्यान रखा जाये। इतना कहकर मै अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

6. **श्री घुरन राम, ग्राम भिट्ठीकला**– मेरा यह निवेदन है जहा सटा के यहॉ आदमी लोग को लाके बसा दिया है, सब आने जाने का ठेका उन लोग दिये है। बल्कि चोर बसा लिये है। उन्ही लोग सब चोरी करता है। गांव एकता नही रहता है तो क्या समाज होगा। भाषण तो कहता है बहुत लेकिन दिन बीत गया बहुत। हम 80 साल के बुढ़वा है। देखते देखते हमारा भर गया। सब चीज के सुख है जय राम जी ।

7. **श्री बुधबहाल प्रसाद राजवाड़े, ग्राम भिट्ठीकला**–हम लोग पहले से आने जाने में कोई दिक्कत नही था लेकिन धोनीपारा जाने में बहुत कष्ट पैदा हो गया है। हम लोग पंच सरपंच लोगो को भी बोले कि, समस्या को हल किया जाये, लेकिन आज तक समस्या को हल नही कर पाये। जाने के लिए रास्ता था, दोनो तरफ से एक तरफ मणीराम राजवाड़े और एक तरफ से रामेश्वर राजवाड़े दोनो तरफ से रास्ता था उसको पत्थर बिछाकर एकदम जाम कर दिये। उसमें बैल, भैसा हम लोग ले जाते है, जाने में बहुत कष्ट पैदा हो गया। अभी धान ढुलाई चल रहा है, और भी है, उसमे जाना बहुत दिक्कत हो गया है। एक महिने पीछे हम लोग गये थे रिपोर्ट करने इस मामले में, अभी तक पुलिस प्रशासन नही आये। कलेक्टर साहब यहा भी कागज पहुंच गया है। और एसडीएम में भी पहुचं गया है और आज एक

महिना से भी ऊपर हो गया है। कोई अधिकारी भी आज तक देखने तक नही आये है। तो हमारा कहना है कि हमको भी कुछ उपाय बताईये कि आने जाने मे परेशानी हो रहा है। बैल भैसा लाने ले जाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। अनाज लाने में भी दिक्कत हो रहा है। हमारा इतना ही कहना है कि, उसको थोड़ा जाकर देख लीजिए। बहुत बड़ा कष्ट पैदा हो रहा है। मै अपना वाणी यही पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

8. **श्री जगन दास मानिपुरी, ग्राम भिट्ठीकला**— क्या है कि देखिये कि हमारे जो गॉव में बताये कि ऐसी ऐसी समस्या जो है। समस्या तो सही में है रोड की समस्या है। आज से पहले भी कई गाव में फैक्ट्री लग चुकी है। कम्पनी काम कर रही है। लेकिन गांव के लोगो को इससे कोई बेनिफिट नही हो रही है। कम्पनी अपना पैसा कमाती है। ना तो रोड पे ध्यान दे रही है और ना तो किसी प्रकार से वातावरण कोई सुधार करती है। जिस जगह पे जाके देखिये कुछ गंदगी फैली होती है। तो पहले ही बता चुके है कि यहॉ के पर्यावरण की व्यवस्था बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि कम्पनी जो यहॉ पर आई हुई है यहॉ के बच्चे जो पढ़े लिखे है, उनको यहा पर नौकरी दी जायेगी। जैसे और भी कम्पनी लगती है कहीं पे वहॉ गांववालों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है। बच्चे जो पढ़े लिखे है उनको यहॉ पर नौकरी दी जाये। साथ में पहले जो बता चुके है कि यहा ऐसी–ऐसी समस्या है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाये।

9. **श्री ज्योतिस राम, ग्राम भिट्ठीकला**— हमारे गाव में गौशाला जो बन रहा है लेकिन जगह कम पड़ रहा है। उस जगह मे थोड़ा चौड़ीकरण होना चाहिए।

10. **श्री बिसम्भर राम, ग्राम भिट्ठीकला**— मेरे गाव में नही पता है। आप खाली एक ही बार आते है तो हमलोग जान पाते है। कब का प्रस्ताव हुआ है कोई व्यँक्ति नही जान रहे है। 2016 को ये पास हुआ कि प्रस्ताव हुआ कि पंचायत की बैठक मे बोला। आप यहॉ एक ही बार आते है और कहते है कि एक सौ तेईस बटा इसका मांग कर रहे है। थोड़ा सा हमको ग्राम वालो को सुझाव हुआ, जैसे ये कचड़ा यहा डम्प हुआ, एक ही बार गिरना चालू हुआ तब हमको पता चला ग्रामीण लोगो को। प्रस्ताव कब पास हुआ था। यहा कितना लड़ाई झगड़ा लेडिज लोग किये मरद लोग किये। हमारे गांव का कोई नही जानते, एक बार एक ही धार आ जाते है तो हम जानते है। जितने हमारे गांव में पटवारी थे सब होशियार लोग पट्टा पा गये।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद जन समुदाय मे से अन्य कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब लगभग दोपहर 2:00 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया। परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री विपिन मलिक, डायरेक्टर, मेसर्स व्ही एम टेक्नोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा परियोजना के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत

कराया गया। लगभग अपरान्ह 2:20 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकसुनवाई समापन की घोषणा की गई ।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में कुल 06 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। लोक सुनवाई के दौरान 10 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 110 व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल 76 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)